न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

(1) प्रकरण संख्या –10/2024 (आवन्टन निरस्तीकरण)
GCMS No. 2024/157

1. जगदीश आत्मज धन्नालाल जाति मेघवाल
2. श्रीमति अनोख बाई पत्नि मांगीलाल जाति मेघवाल
3. श्रीमति गंगाबाई पत्नि श्यामलाल जाति मेघवाल निवासीयान ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

––प्रार्थी.

बनाम

1. श्रीमति कंवर बाई पत्नि हुकम सिंह जाति राजपूत निवासी गोयन्दा तह0 रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

––अप्रार्थी.

जिला कलक्टर कोटा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अंतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत् ।

उपस्थित–
1. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक अपीलांट
3 श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1

(2) प्रकरण संख्या –09/2024 (आवन्टन निरस्तीकरण)
GCMS No. 2024/154

सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

बनाम

श्रीमति कंवर बाई पत्नि हुकम सिंह जाति राजपूत निवासी गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्थान (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970

जिला कलक्टर
कोटा

उपस्थितः–
1. पेरोकार सरकार
2. श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, अभिभाषक अप्रार्थी

उपरोक्त दोनों प्रार्थना पत्र एक ही आवंटी को एक ही भूमि के आवंटन दिनांक 2.12.2010 के विरूद्व पेश होने एवं न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा दौनों प्रकरणों में एक साथ ही निर्णय दिनांक 9.5.2024 को पारित कर रिमाण्ड किया जाने से दौनों प्रकरणों में पुनः एक साथ ही बहस सुनी जाकर एक साथ ही निर्णय किया जा रहा है ।

निर्णय

दिनांक:- 25/03/2025

1. उपरोक्त दोनों प्रकरणों में न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के प्रकरण संख्या 29/2022 कंवरबाई बनाम जगदीश एवं प्रकरण संख्या 30/2022 कंवरबाई बनाम सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी में एक साथ ही दिनांक 9.5.2024 से निर्णय पारित किया जाकर इस न्यायालय के पूर्व प्रकरण संख्या 6/2013 जगदीश बनाम कंवर बाई एवं प्रकरण संख्या 87/2016 सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी बनाम कंवरबाई में पारित निर्णय दिनांक 7.12.2021 को अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः इस न्यायालय को समुचित परीक्षण कर पुनः विधि सम्मत स्पीकिंग निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड से प्राप्त हुआ है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 412 की रकबा 0.40 हे0 भूमि दिनांक 2.12.2010 को कंवरबाई को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । उक्त आवंटन के विरूद्व प्रार्थी द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम गोयन्दा में स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 189 की 12 बीघा 4 बिस्वा भूमि प्रार्थी के खातेदारी की दर्ज रेकार्ड है । उक्त भूमि पर सेटलमेंट हो गया, सेटलमेंट के बाद नवीन खसरा नम्बर 419,420,434 कायम किये गये और इसी अनुसार नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 412 भी सेटलमेंट विभाग द्वारा कायत किया गया जो अवैधानिक है । उक्त खसरा नम्बर 412 रकबा 0.40 हे0 भूमि को काश्त करने हेतु अप्रार्थी नं0 1 आवेदन करने पर भू आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 2.12.2010 को आवंटन कर गैर खातेदारी में दर्ज कर दिया गया । पटवारी की त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी नं0 1 के पक्ष में किया गया आवंटन अवैधानिक है । इसी प्रकार उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा भी इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उक्त कंवरबाई को ग्राम गोयन्दा की आराजी खसरा नम्बर 412 रकबा 0.40 हे0 दिनांक 2.12.2010 को आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने से आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया जाने से आवंटन निरस्त किया जावें । दौनों प्रकरण क्रमश 6/2013 जगदीश बनाम कंवरबाई एवं प्रकरण संख्या 87/2016 सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी बनाम कंवरबाई में पूर्व में दिनांक 7.12.2021 को एक साथ ही निर्णय पारित किया प्रकरण जांच हेतु तहसीलदार रामगंजमण्डी को रिमाण्ड किया गया था । उक्त निर्णय की अप्रसन्नता में अप्रार्थीया कंवरबाई द्वारा न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा में अपील प्रस्तुत की जाने पर न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 7.12.2021 अपास्त किया जाकर प्रकरण समुचित परीक्षण कर स्पीकिंग आदेश / निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया ।

3. रिमाण्ड से प्राप्त होने पर प्रकरण पृथक पृथक दर्ज रजिस्टर किये गये, पक्षकारान की तलबी की गई । वकील उभयपक्ष उपस्थित । प्रकरण संख्या 10/2024 जगदीश बनाम कंवरबाई एवं 9/2024 सरकार बनाम कंवरबाई में पक्षकरान समान होने एवं अधिवक्ता भी समान होने एवं प्रकरण की विषयवस्तु एक ही होने से दौनों प्रकरणों की एकसाथ ही बहस सुनी गई ।

4. प्रार्थी जगदीश वगै0 के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम गोयन्दा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 189 की 12 बीघा 4 बिस्वा भूमि स्थित है जिसे प्रार्थी रेकार्डेड खातेदारी है उक्त भूमि पर सेटलमेंट होने के बाद नवीन खसरा नम्बर 419,420,434 कायम किये गये । इसी के अनुसार नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 412 रकबा 0.40 हे0 भूमि को काश्त करने हेतु अप्रार्थी नं0 1 कंवरबाई द्वारा आवेदन करने पर दिनांक 2.12.2010 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन कर गैर खातेदारी में दर्ज कर दिया गया । सेटलमेंट की अवैधानिक कार्यवाही से तथा पटवारी हल्का की त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी नं0 1 के पक्ष में किया गया आवंटन अवैधानिक है । आवंटित भूमि पर आवंटी को दखल ही नहीं दिया गया है तथा कब्जा काश्त भी प्रार्थीगण का ही चला आ रहा है । अप्रार्थीगण का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है, जिसकी पुष्टि अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

जिला कलक्टर
कोटा

रामगंजमण्डी में प्रस्तुत वाद अन्तर्गत 183 रा0टी0ए0 से होती है जिसमें इनके द्वारा कब्जा दिलाने का अनुतोष चाहा गया था वह भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा दिनांक 28.6.2024 को खारिज किया जा चुका है । इस प्रकार उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन निरस्त योग्य होने से निरस्त फरमाया जावें । तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा भी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भी आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने का तथ्य अंकित करते हुए आवंटन निरस्त करने हेतु निवेदन किया है । अतः आवंटी को आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से निरस्त फरमाया जावें ।

5. वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया है कि अप्रार्थीया कंवरबाई को ग्राम गोयन्दा की आराजी खसरा नम्बर 412 की रकबा 0.40 हे0 भूमि नियमानुसार आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गई थी, उक्त आवंटन के विरूद्व पूर्व में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 7.12.2010 के विरूद्व न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा में अपील की जाने पर अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 9.05.2024 से रिमाण्ड किया गया है । उक्त आवंटन के सम्बन्ध में नियममित वाद विचाराधीन है ऐसी स्थिति में नियमित वाद विचाराधीन रहते हुए 14(4) मेन्टेनेबल नहीं है । आवंटी द्वारा आवंटन पश्चात उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त किया जा रहा है । अप्रार्थीनी को आवंटित उपरोक्त भूमि बंजड किस्म की असिंचित भूमि है । फसल का होना वर्षा पर निर्भर रहता है, पर्याप्त वर्षा होने पर अप्रार्थीनी नियमित रूप से फसल कर रही है । अनावृष्टि होने पर कम वर्षा होने पर फसल खराब हो जाती है एवं सूख जाती है । अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्तीकरण का निरस्त फरमाया जावें । वकील अप्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक निर्णय आर आर टी 2024 (2) 1321 प्रस्तुत किया है ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलेट न्यायालय द्वारा रिमाण्ड के बिन्दुओं पर विचार किया । चूंकि अप्रार्थीया कंवरबाई को गोयन्दा की आराजी खसरा नम्बर 412 रकबा 0.40 हे0 भूमि आवंटित की जाना जाहिर आया है, किन्तु उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी को कब्जा दिया जाना आवंटन पत्रावली से जाहिर नहीं हो रहा है, क्योंकि आवंटन पत्रावली में दखलनामा संलग्न नहीं है, साथ ही उक्त भूमि पर आवंटी अप्रार्थीया का कब्जा नहीं होने से तथा कब्जा प्रार्थी जगदीश वगै0 का होने से कब्जा दिलाने के समबन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी में वाद प्रस्तुत किया था, उक्त वाद भी दिनांक 28.06.2024 को खारिज हो चुका है जिसकी प्रति वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 21.01.2025 को प्रस्तुत की है साथ ही पटवार मण्डल गोयन्दा की रिपोर्ट दिनांक 24.5.2022 की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत की हुई है जिस अनुसार भी उक्त आवंटित भूमि खसरा नं0 412 रकबा 0.40 हे0 जो कंवरबाई पत्नी हुकम सिंह के नाम गैर खातेदारी से दर्ज है किन्तु उक्त भूमि पर कंवरबाई आवंटी का कब्जा नहीं होकर उक्त भूमि पर जगदीश पुत्र धन्नालाल जाति मेघवाल का कब्जा होना बताया गया है, वकील अप्रार्थी द्वारा भी कब्जा काश्त करने की पुष्टि में कोई दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में खसरा गिरदावरी की नकलें आदि प्रस्तुत नही की है, इससे यह तो स्पष्ट हो गया है कि उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी कंवरबाई का कब्जा काश्त नहीं होकर आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जा रही है । इसके अतिरिक्त वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में यह भी कथन किया है कि नियमित वाद के विचाराधीन रहते हुए 14(4) का प्रकरण मेन्टेनेवल नहीं है । अपने कथन की पुष्टि में न्यायिक दृष्टान्त RRT 2024(2) 1321 पेश किया गया है जिस में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है –Pending regular suit application under Rule 12(4) of Riles of 1970 was not maintanable for cancellation of the allotment. उक्त वादग्रस्त आवंटित भूमि के सम्बन्ध में कब्जा दिलाने सम्बन्धी वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा दिनांक 28.6.2024 को खारिज किया जा वुका है, तथा अन्य कोई नियमित वाद विचाराधीन होने के सम्बन्ध में वकील प्रार्थी अथवा अप्रार्थी किसी के द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है जिससे नियमित वाद के विचाराधीन होने की पुष्टि हो सकें । ऐसी स्थिति में वकील अप्रार्थी का दौराने बहस नियमित वाद विचाराधीन होने का कथन

जिला कलक्टर
कोटा

दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में सिद्व नहीं हो रहा है तथा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय भी इस प्रकरण में लागू नहीं होते है । ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार योग्य पाते है ।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकरण संख्या 10/2024 उनवान जगदीश बनाम कंवरबाई एवं सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी बनाम कंवरबाई में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी कंवरबाई के हक में किया गया भूमि आवंटन आदेश दिनांक 2.12.2010 निरस्त किया जाकर ग्राम गोयन्दा की आवंटित भूमि खसरा नम्बर 412 रकबा 0.40 हे0 सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते है । निर्णय की प्रति तहसीलदार रामगंजमण्डी को मय आवंटन पत्रावली के भिजवाई पालनार्थ भिजवाई जावें ।

9. निर्णय आज दिनांक 25.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा